Grup-B (9)

3 chap

13

6. Q. राजनैतिक अवधारणा के रूप में न्याय की व्याख्या करे।

न्याय की अवधारणा सामाजिक-राजनीतिक दर्शन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जो समानता की धारणा पर आधारित है न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसी न किसी रूप में अत्यंत प्राचीन काल से ही होता रहा है। आधुनिक राजनीति दर्शन में न्याय को सर्वोच्च आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया है मनुष्य के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए न्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

न्याय अंग्रेजी भाषा के Justice शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के Justitia, Jus, आदि से हुआ है। जिसका अर्थ है - जोड़ना, बाँधना। इस प्रकार जो बाँधने या जोड़ने का कार्य करे वह न्याय है। प्राचीन युनानी दर्शन के इतिहास में अत्यंत प्राचीन समय से न्याय के सम्बंध में विचार किया गया है। प्राचीन युनानी दार्शनिक हेराक्लिटस, पाइथागोरस, प्लेटो इत्यादि ने न्याय के सिद्धांत को परिभाषित किया है

प्लेटो ने न्याय का सम्बंध नैतिकता से स्थापित किया है उसके अनुसार न्याय सद्गुण है। जिसके आधार पर समाज को सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है मानव व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में न्याय की उल्लेखनीय भूमिका होती है। परम्परागत रूप से न्याय की दो ही धारणाएं प्रचलित रही है।
(1) नैतिक (2) कानूनी। किन्तु आधुनिक युग में न्याय की धारणा बहुत व्यापक हो गयी है और उसके अनेक प्रचलित प्रमुख रूप हो गये है जो इस प्रकार है।

(1) प्राकृतिक न्याय —

मनुष्य प्राकृतिक रूप से विवेकशील है वह अपनी इच्छानुसार कर्म करने के लिए स्वतन्त्र है तथा उस पर कोई नियंत्रण या बंधन नही होना चाहिए। इस धारणा का समर्थन करने वाले विचारकों का मत है कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान है और समाज को उस समानता को बाधित करने का प्रयास नही करना चाहिए। न्याय का प्रकृति रूप उसे ही माना गया है जो व्यक्तियों की प्राकृतिक स्वतन्त्रता और

समानता के आधार पर समाज में व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम हो।

(2) नैतिक न्याय — नैतिक न्याय की धारणा के अनुसार मानव व्यवहार के कुछ नियम ऐसे हैं जो सर्वव्यापी शाश्वत तथा अपरिवर्तनीय होते हैं तथा जिनसे व्यक्तियों के परस्पारिक सम्बन्धों का सुचारु संचालन होता रहता है। इस धारणा के अनुसार जब मनुष्य का व्यवहार इन सर्वव्यापक नियमों के अनुसार होता है तो वह स्थिति नैतिक न्याय की होती है तथा जब मनुष्यों का आचरण इन नियमों के विरुद्ध होता है तो समाज में नैतिक न्याय के विरुद्ध स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सत्य बोलना, दया करना, परस्पर प्रेम वचन का पालन करना, उदारता एवं दान का परित्याग देना आदि नैतिक न्याय के नियम माने जाते

(3) राजनीतिक न्याय — न्याय के राजनीतिक आयाम पर उदारवादी विचारधारा का अधिक बल है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक

व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के राज्य की शक्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। वयस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय का आधार है। राजनीतिक न्याय राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने से सम्बन्धित है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मत देने, निर्वाचित होने और सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इन सभी अवसरों को उचित एवं निष्पक्ष व्यवस्था को ही राजनीतिक न्याय की व्यवस्था कहते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक न्याय अत्यंत आवश्यक है। जिससे समाज के सभी व्यक्ति राजनीति में अपना उचित योगदान दे सकें।

(ii) सामाजिक न्याय —
सामाजिक न्याय का उद्देश्य मानव द्वारा मानव का शोषण समाप्त करना है। सामाजिक न्याय की मांग है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए जिसमें बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और सुविधाएँ उपलब्ध हों। व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वर्ण आदि के आधार पर कोई भेदभाव न

बने, तथा समाज में सबको उचित स्थान प्राप्त हो।

(5) आर्थिक न्याय —

आर्थिक न्याय के अनुसार उत्पादन के साधनों तथा सम्पत्ति के वितरण की ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जिससे सबों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, तथा कोई भी व्यक्ति समुदाय या वर्ग का शोषण न कर सके। सम्पत्ति का अनुचित एकत्रीकरण न हो पाये ~~तथा कुछ लोगों को~~ आर्थिक न्याय के अनुसार अधिक उत्पादन की प्राप्ति हो, उत्पादित वस्तुओं का समतापूर्ण वितरण हो, तथा बेकारी, बीमारी एवं वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा का प्रबन्ध हो। अतः लोकतंत्र में आर्थिक न्याय का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक विषमता के कारण समाज निर्धन पूंजीपति तथा मजदूर एवं शोषण तथा शोषित वर्गों में विभाजित हो जायेगा।

(6) कानूनी न्याय —

कानूनी न्याय का सम्बंध राज्य की कानूनी प्रणाली और न्याय प्रणाली से है। कानूनी न्याय को दो अर्थों में प्रयुक्त करते हैं — पहला कानूनी

का निर्माण अर्थात सरकार द्वारा बनाये गये कानून न्यायोचित होना चाहिए। इसके, बनाये गये कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। और जिन व्यक्तियों ने कानूनों का उल्लंघन किया उन्हे निष्पक्षरूप से दण्डित करना चाहिए।

(3) भारतीय संविधान में न्याय की अवधारणा —

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना तथा हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की है जो भारतीय के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुलभ बनाती है।

(4) भारतीय राजनीतिक चिंतक में न्याय की अवधारणा —

प्राचीन भारतीय चिंतक मे न्याय को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन विचारकों में मनु, कौटिल्य, वृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज आदि अनेक

विचारक सम्मिलित हैं। प्राचीन भारतीय विचारकों की विशेषता रही है कि उन्होंने न्याय के विषय में उस कानूनी दृष्टिकोण को प्राचीन काल में ही अपनाया। जिसे पाश्चात्य जगत में आधुनिक युग में अपनाया गया है। मनु ने न्याय व्यवस्था में निष्पक्षता एवं सत्यता पर अधिक बल दिया है। उनका कथन है "जिस सभा में सत्य असत्य से पीड़ित होता है, उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं"। न्याय के उचित व्यवस्था के लिए मनु ने अनेक अपराधों एवं दण्डों का प्रतिपादन किया है। कौटिल्य ने भी कहा है जो राजा या राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। उनके अनुसार न्याय का उद्देश्य राज्य की प्रजा की जीवन व सम्पत्ति की रक्षा करना है तथा उसके इस उद्देश्य की सिद्धि में जो असामाजिक तत्व बाधा डाले उन्हें ढूंढ़ना है। कौटिल्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में न्याय कार्य को दो भागों में विभाजित किया है जो आजकल के दीवानी या फौजदारी न्याय क्षेत्रों जैसा ही है।

इस प्रकार विभिन्न राजनीति विचार

धारा में न्याय के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किये जाते है। न्याय का सम्बन्ध समाज के सामाजिक राजनीतिक मूल्यों से है तथा न्याय के उपयोग सभी पक्ष परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए है इन्हे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है।

~~सम्ब~~

— X —